

बिहार सरकार  
ऊर्जा विभाग।

20

कार्यालय आदेश

संख्या:-प्र0/ऊर्जा रा0स्था0-07/2017 17

पटना, दिनांक:- 01/08/19


वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3590 दिनांक-24.05.2017 द्वारा सभी पदाधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष पहली जुलाई से निर्धारित किये जाने के आलोक में ऊर्जा विभाग के सचिवालय संयुक्त सेवा संवर्ग के निम्नलिखित प्रशाखा पदाधिकारी/सहायकों तथा अन्य कोटि के कर्मचारियों को दिनांक-01.07.2019 से उनके नाम के सामने स्तम्भ V में अंकित राशि वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ स्वीकृत की जाती है।

वार्षिक वेतन वृद्धि के उपरान्त दिनांक-01.07.2019 को स्तम्भ V में अंकित राशि/मूल वेतन देय होगी।

क्र0सं0	नाम/पदनाम	Level	दिनांक 01.07.2018 को स्वीकृत मूल वेतन की राशि	01.07.2019 से वेतनवृद्धि के पश्चात भुगतये मूल वेतन की राशि
I	II	III	IV	V
01.	श्री बीरेन्द्र कुमार ओझा, प्रशाखा पदाधिकारी	11	83,300/-	85,800/-
02.	श्री अयोध्या चौधरी, आप्त सचिव	9	77,900/-	80,200/-
03.	श्रीमति ज्योतिन तोपनो, सहायक	7	68,000/-	70,000/-
04.	श्री विपिन सम्राट, सहायक	7	50,500/-	52,000/-
05.	सुश्री ऋचा कुमारी, सहायक	7	44,900/-	46,200/-
06.	श्री उपेन्द्र कुमार, सहायक	7	44,900/-	46,200/-
07.	श्री पंकज कुमार, अनुसेवक	1	20,900/-	21,500/-

2. उक्त वर्णित किसी भी कर्मी के वेतन भुगतान के संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में संबंधित कर्मी को दी गई वार्षिक वेतन वृद्धि लाभ के आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा, तथा उन्हें भुगतान की गई राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति एक मुश्त कर ली जायेगी।

विश्रासभाजन,

  
सरकार के संयुक्त सचिव।